देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/rmmp/14 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 14 फरवरी 2022

जेएलएन मार्ग स्थित जेडीए की स्वामित्व वाली 200 फीट चौड़ी सरकारी जमीन(संस्थानिक पट्टी) पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा!!!

कई अवैध रेस्टोरेन्ट,मैरिज गार्डन संचालित!!!

भाग-1

जेडीए की कुंभकरणी नींद के चलते, भूमाफिया कूट रहे चाँदी!!!

भूमाफिया ना केवल जेडीए के राजस्व का कर रहे नुक्सान बल्कि जीएसटी और इन्कम टैक्स की भी कर रहे चोरी!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जागते रहो...

क्यूंकि चौकीदार सो रहा है!!!

सरकार की नाक के नीचे 400 करोड़ की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओ का कब्जा!!!

जेडीए का कानून नहीं, यहाँ बजती है भूमाफियाओं की तूती!!!

संस्थानिक पट्टी पर अतिक्रमण करने पर जेडीए एक्ट की धारा 72 के तहत 1 साल की सजा एक लाख के जुर्माने का प्रावधान!!

लेकिन इसके बावजूद अवैध कब्जेधारी/भूमाफिया इसी सरकारी जमीन से उगाह रहे 50 लाख रुपए महीने का किराया!!!

कौन भुगतेगा सजा?

भूमाफिया या फिर सभी किराएदार?

जेडीए ने घोषित कर रखी है जेएलएन मार्ग के दोनों तरफ 200-200 फीट की संस्थानिक पट्टी|

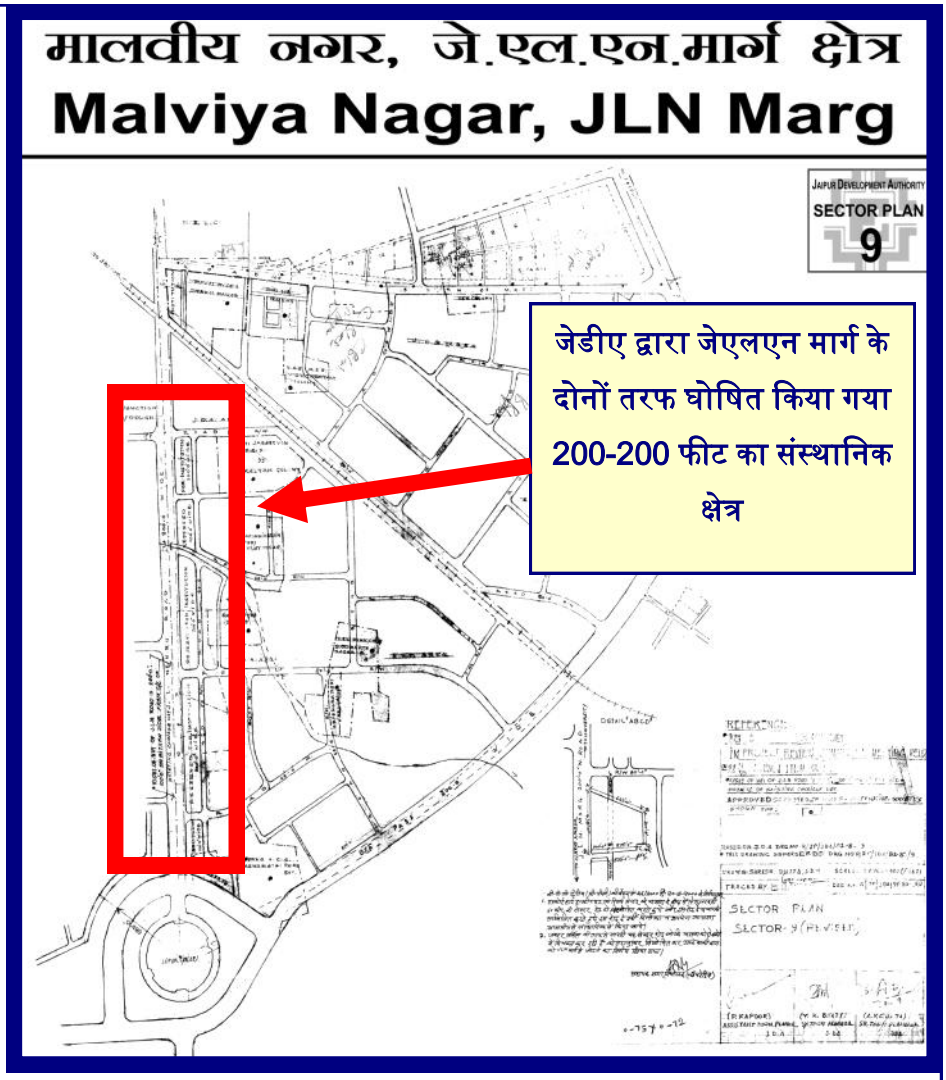

जेडीए द्वारा जेएलएन मार्ग के दोनों तरफ 200- 200 फीट की संस्थानिक पट्टी घोषित कर रखी है,सरकार द्वारा सभी हाउसिंग को-ओपरेटिव सोसाइटी वालों को उनके द्वारा इन सड़क के दोनों तरफ सृजित की गयी कॉलोनियों मे से इस रोड से लगती हुई 200 फीट की पट्टी को जेडीए के पक्ष मे समर्पित करने के आदेश दिये गए थे,जिसे संस्थानिक पट्टी का नाम दिया गया था और इस जगह का उपयोग केवल संस्थानिक कार्यों हेतु ही किया जाना था|अर्थात इस रोड के दोनों तरफ की 200-200 फीट की चौड़ाई मे किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है|लेकिन इसके बावजूद इस संस्थानिक पट्टी पर जेडीए और सरकार की आँख के नीचे अतिक्रमण कर रेस्टोरेन्ट,होटल,मैरिज गार्डन बना कर व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही है|

जेएलएन मार्ग पर स्थित संस्थानिक पट्टी पर काटे गए लाल बहादुर नगर के फर्जी पट्टे,इस स्कीम की 50 फीट रोड के एक तरफ संस्थानिक पट्टी(सरकारी जमीन) पर अतिक्रमण कर चल रहे अवैध होटल,रेस्टोरेन्ट,शराब के शोरूम

आपको बता दें कि जेडीए के रेकॉर्ड के अनुसार यह जमीन गर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम दर्ज है|रामजीपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जेएलएन मार्ग पर लाल बहादुर नगर नामक स्कीम काटी गयी थीजिसके कर्ता-धर्ता डॉक्टर कैलाश गर्ग है|जिनकी कई स्कीमे आज भी विवादित है और कोर्ट मे अटकी पड़ी है|उनके द्वारा काटी गयी लाल बहादुर नगर मे आज दिन तक 200 फीट की संस्थानिक पट्टी जेडीए के पक्ष मे समर्पित नहीं की गयी है और इस जमीन पर भूखंड काट कर, विभिन्न लोगो को बेच दिये गए है|उनके द्वारा इस संस्थानिक जमीन को अपनी पत्नी डा॰ विभा के गर्ग के नाम से रजिस्टर्ड गर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम करवा दी गयी|इस जमीन को लेकर कई विवाद विभिन्न न्यायालयों मे लंबित है|और वर्ष 2017 मे दिये गए एक निर्णय मे राज. उच्च न्यायालय द्वारा इस जमीन को जेडीए के स्वामित्व की मानते हुए,200 फिट संस्थानिक पट्टी माना है|

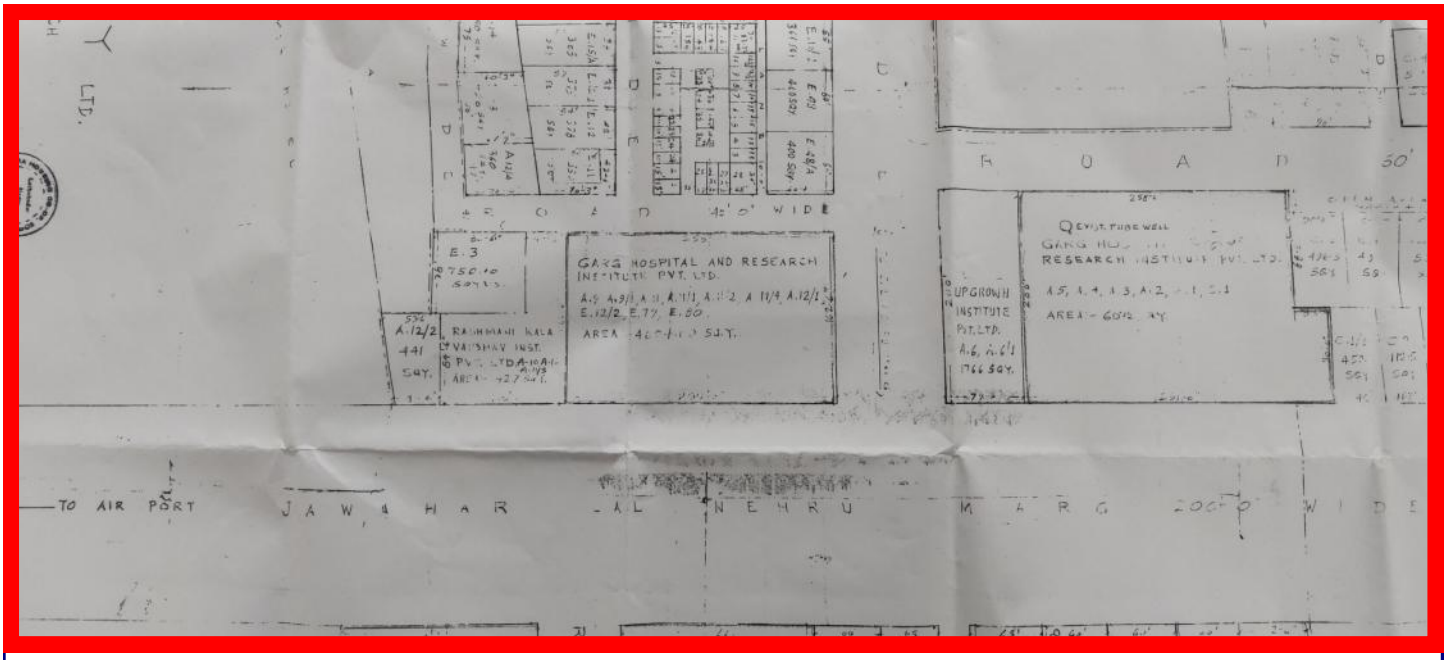

सोसाइटी द्वारा काटी गयी स्कीम की जमीन की लड़ाई मे सुप्रीम कोर्ट मे हुआ था समझौता|सुप्रीम कोर्ट ने आपसी समझौते/बँटवारे पर लगाई थी मोहर,ना कि जमीन के टाइटल पर|

रामजीपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा काटी गयी लाल बहादुर नगर पर स्थित गर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रा. लि. की जमीन को लेकर दो भाइयों कैलाश गर्ग और उनके भाई ओम प्रकाश चौधरी के बीच विवाद था,विवाद इतना बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा|वर्ष 2014 मे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों भाइयों के बीच हुए आपसी समझौते पर मोहर लगते हुए मामले का निस्तारण कर दिया और यह जमीन ओम प्रकाश चौधरी के पक्ष मे मानी गयी|गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट मे पहुंचा यह विवाद आपसी बँटवारे का था,ना कि जमीन के टाइटल के संबंध मे|सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मे कहीं यह निर्देशित नहीं किया गया कि उक्त जमीन का व्यवसायिक उपयोग किया जा सकता है या फिर यह जमीन जेडीए की संस्थानिक ना होकर,समिति द्वारा बताए गए स्कीम के प्लॉटो के रूप मे रहेगी|

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रा. लि. और जेडीए के बीच लंबित सिविल रिट पिटीशन 4794/2005 पर सुनवाई करते हुए दिनांक 07/11/2017 को पारित निर्णय मे गर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रा. लि. की जमीन को माना था जेडीए के अधिकार की संस्थानिक पट्टी(सरकारी जमीन)|

जेएलएन मार्ग पर करीब 23 हजार वर्ग गज जमीन को लेकर 17 साल की खींचतान के बाद हाईकोर्ट ने जेएलएन मार्ग के दोनों और गर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रा. लि. द्वारा अपना मालिकाना हक जताने वाली जमीन को जेडीए के स्वामित्व की सरकारी जमीन(200 फीट पट्टी की संस्थानिक पट्टी) माना था|कोर्ट ने कहा कि इस जमीन का रूपान्तरण हुआ ही नहीं केवल प्रक्रिया शुरू हुई|काश्तकारी अधिनियम की धारा 90(बी)(2) मे जमीन का आवंटन हुआ ही नहीं|जमीन 2000 मे ही जेडीए की हो गयी,पट्टेधारी व गर्ग हॉस्पिटल को जमीन पर हक नहीं है|ऐसे मे गर्ग हॉस्पिटल अतिक्रमी है|ऐसी जमीन का सरकार नियमन नहीं कर सकती|

भूमाफियाओं के कब्जे वाली सरकारी जमीन(संस्थानिक पट्टी)पर चल रहे कई रेस्टोरेन्ट,होटल

आपको बता दें कि इस संस्थानिक पट्टी पर आज भी कुछ भूमाफियाओं का कब्जा है इतना ही नहीं, अब तो इस जमीन पर पक्के निर्माण करवा कर, कई रेस्टोरेन्ट,होटल और मैरिज गार्डन को किराए पर भी दे दिये गए है|संस्थानिक पट्टी के अलावा इन भूमाफियाओं द्वारा जेएलएन मार्ग,एसएल मार्ग पर कई आवासीय भूखंडो मे अवैध व्यवसायिक निर्माण कर किराए पर चढ़ाये गए है|जिनसे मासिक रूप से मोटा किराया वसूला जाता है जो कि अनुमानत: 50 लाख रुपए मासिक किराए के रूप मे कब्जेधारीयो की जेब मे जाता है|जबकि जमीन के असली मालिक जेडीए के हाथ मे एक चवन्नी भी नहीं आती है|

वाहनों की अवैध पार्किंग बन कर रह गयी यह सड़क|

अवैध पार्किंग से 50 फीट की सड़क बन गयी महज 20 फीट की|

जैसा कि फोटो से साफ पता चल रहा है कि इस सड़क के दोनों तरफ चल रही अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के चलते यह 50 फीट चौड़ी सड़क यहाँ आने वाले आगन्तुको के लिए पार्किंग स्थल बन चुकी है|शाम के समय तो यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती है,जिसके चलते आए दिन झगड़े-फसाद होने लगे है|ऐसा नहीं है कि जेडीए के अधिकारियों को इसका भान नहीं है लेकिन भूमाफिया द्वारा मोटे चढ़ावे के चलते जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी आँख मूँद कर इस सड़क को पार कर जाते है|

अवैध कब्जे के साथ साथ जीएसटी और इन्कम टेक्स चोरी का भी मामला

सूत्रों के अनुसार भूमाफियाओं द्वारा इन प्रतिष्ठानो ने मोटा किराया वसूला जाता है लेकिन इसके बावजूद किराए पर लगने वाली जीएसटी और इन्कम टेक्स की चोरी की जा रही है|जीएसटी कानून के अनुसार यदि व्यवसायिक क्षेत्र को किराए पर दिया जाता है तो किराया राशि पर 18% जीएसटी देय होती है लेकिन इसके बावजूद भूमाफियाओं द्वारा कई प्रतिष्ठानो का असली किराया नहीं बता कर,खुलेआम जीएसटी और इन्कम टेक्स की चोरी की जा रही है|देखना यह है कि यह मामला सामने आने के बाद जीएसटी और इन्कम टेक्स विभाग कार्यवाही करते है या नहीं|

संस्थानिक पट्टी(सरकारी जमीन) पर चल रहे अवैध होटलो,रेस्टोरेंटों की बानगी

1. सिटी हाईट्स बेस्त्रों

2. ला मल्टीग्रेन रेस्टोरेन्ट

संस्थानिक पट्टी(सरकारी जमीन) पर चल रहे अवैध होटलो,रेस्टोरेंटों की बानगी

3. बर्गर फार्म, 4. केफे कनेक्ट, 5.चाय आश्रम

6. ग्लूटोन मंकी

7. गणपति पेरेड़ाईज़ मेरेज गार्डन

संस्थानिक पट्टी(सरकारी जमीन) पर चल रहे अवैध होटलो,रेस्टोरेंटों की बानगी

8. मेरेज पेरेड़ाईज़ गार्डन